मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना

1. उदेश्य

इस योजना में चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत भिक्षुकजनों का पुनर्वास, कौशल विकास तथा सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव स्थापित करना है ताकि भिक्षावृत्ति दूर हो सके | इस योजना में वस्त्र वितरण योजना भी समाहित है|

2. निधि का संवितरण

मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना शत प्रतिशत राज्य स्कीम है।

3. देय राशि

राज्य के भिक्षुकजनों को पुनर्वास/अल्पावास गृह के माध्यम से भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं परामर्श के साथ आवासीय सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होगी| वस्त्र वितरण के तहत सूती साड़ी, धोती, चादर एवं ऊनी कम्बल भिक्षुकों, अपंगों एवं असहाय व्यक्तियों के बीच मुफ्त वितरण किया जाता है, सरकार के विभिन्न प्रकार की योजनाओं के साथ जुड़ाव स्थापित करनें हेतु आवश्यक जानकारी, परामर्श एवं प्रशिक्षण दिया जाता है| साथ ही उनके कौशल विकासोपरांत रोजगार हेतु नियोजकों एवं स्व-रोजगार हेतु पूंजी निवेशकों/बैंकों से समन्वय स्थापित कराया जाता है।

4. पात्रता

निराश्रित, असहाय और भिक्षुक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष ही अनुमान्य होगी तथा बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का अनुपालन नियोक्ता द्वारा किया जाता है।

5. प्रक्रिया

योजना का नाम	आवेदन की प्रक्रिया	अनुमोदन
मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना	स्वयं/सर्वेक्षित/रेफरल द्वारा पुनर्वास गृह के माध्यम से	जिला प्रबंधक की अध्यक्षता में गठित समिति

6. उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

जिला कार्यान्वयन इकाई स्वयं सेवी संस्थाओं एवं जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर सक्षम द्वारा समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है तथा निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस योजना अन्तर्गत जिला स्तर पर सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग साथ ही बाल संरक्षण इकाई अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत है। बिहार माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2012 के तहत जिला स्तरीय समिति द्वारा वृद्धाश्रम का सतत अनुश्रवण किया जायेगा एवं इसका प्रतिवेदन निदेशालय/विभाग को भेजा जाता है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहॉं इस योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस योजना से संबंधित शिकायत जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।